

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/x-01-00691/2024/238 दिनांक:- 21/5/24

—: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020, 437 दिनांक 28.04.2020, एवं 675 दिनांक 05.08.2020 एवं अन्य विभिन्न आदेशों के द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/ भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022, के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाना है:-

क्र०सं.	कार्मिका का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परीक्षाकाल की गणना की जानी है	परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	मन्जु म.स्वा.कार्य.	नागौर	10.07.1993	08.08.2020	..	07.08.2022	08.08.2022
02	ललिता माली म.स्वा.कार्य.	केकडी	05.05.1991	08.10.2020	..	07.10.2022	08.10.2022

नोट:- 1. उक्त कार्मिकों के द्वारा यदि परीक्षाकाल में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 21/5/24

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/x-01-00691/2024/238
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकडी/नागौर।
- संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7011926



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.05.20 18:28:50 IST
Reason: Approved